

06.09.2022:- आज यह पत्रावली पेशी में आई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी ताराचन्द्र जरिये अधिवक्ता श्री भवानी सिंह निर्वाण उपस्थित आये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनाम हो गया है। इसलिये वादीगण व प्रतिवादीगण अपने वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी व प्रतिवादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री भवानी सिंह निर्वाण द्वारा की गई व प्रतिवादी की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता श्री आशीष भीडासरा द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

